फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 4/04/2017

बनाम

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	26/9/24	पत्रावली विशेष्ठी। वकील वादी अनुपस्थित वकील प्रार्थी। वादी को बार-बार एक साल बाद न्यायालय समय में उपस्थित समय समाप्ति तक समय 10, 11, 12, 01, 02, 03, 04, 05 बजे तक इन्तजार लगवाई गयी। बावजूद वकील वादी। वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील वादी। वादी का बाद आदेश हाजरी आदेश पत्रावली में खारिज किया जाता है। पत्रावली को नस्ती के साथ हमेशा के लिए शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26/09/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम